न्यायालयः—न्यायिक मजिस्ट्रेट, कालपी, जनपद जालौन।

परिवाद सं0— 408/2018

श्रीमती शाहीन बानो प्रति अब्दुल हक अंसारी आदि।

दिनांक 12.02.2019

पत्रावली पेश हुयी। पत्रावली आदेशार्थ नियत है। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है।

आवेदिका श्रीमती शाहीन बानो की ओर से कथन किया गया है कि प्रार्थिनी मुहल्ला मिर्जामण्डी कस्वा कोतवाली कालपी, परगना कालपी जिला जालौन की निवासिनी है। प्रार्थिनी की शादी मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार दिनांक 27.05.2014 को अब्दुल हक अंसारी पुत्र अब्दुल हकीम अंसारी, निवासी मु0 श्यामनगर भरभूंजा वाली गली बजरिया उरई के साथ हुयी थी। प्रार्थिनी के माता पिता ने शादी में नकद रूपया व सोने चांदी के जेवरात व गृहस्थी का सामान फ्रिज, टी0वी0 इत्यादि उपहार स्वरूप में दिये थे। प्रार्थिनी जब बिदा होकर अपने ससुराल गयी, तो वहॉ पर जाकर प्रार्थिनी ने अपना दाम्पत्य जीवन का बखूबी निर्वाह किया। शादी के कुछ समय पश्चात प्रार्थिनी का पति अब्दुल हक अंसारी व उनके घर के लोग अतिरिक्त दहेज में एक मोटरसाईकिल व दो लाख रूपये की मांग करने लगे और कम दहेज का ताना देने लगे। प्रार्थिनी का यह कहना कि उसके पिता की स्थिति अच्छी नही है, जो भी देना था वह शादी में दे चुके है, अब अतिरिक्त दहेज में दो लाख रूपया व मोटरसाईकिल नही दे सकते। इसी बात को लेकर प्रार्थिनी का पति व उनके घर के लोग प्रार्थिनी को मारने पीटने लगे व भद्दी—भद्दी गालिया देने लगे तथा भूखा प्यासा रखने लगे। प्रार्थिनी अपने पति व घर वालो के व्यवहार से बीमार रहने लगी, इन लोगों ने कोई इलाज नहीं कराया। इसी समय दोनो पक्षों में कुछ लोगो के बीच समझौता हुआ और प्रार्थिनी को अच्छी तरह से रखा, लेकिन कुछ दिनो बाद प्रार्थिनी का पति व घर वाले पुनः अतिरिक्त दहेज में दो लाख रूपये व एक मोटरसाईकिल की मांग करने लगे और प्रार्थिनी को मारने पीटने लगे व जान से मारने की धमकी देने लगे और लगभग 15 माह पूर्व प्रार्थिनी को घर से मात्र पहने हुये कपड़ो से निकाल दिया और कहा कि जब तक दो लाख रूपया व एक मोटरसाईकिल का इन्तजाम नही करोगी तब तक तुम्हे घर में घुसने नही देगें। अतः अभियुक्तगण को तलब कर दण्डित करने की कृपा करें।

परिवादिनी का बयान धारा 200 द0प्र0सं0 व बयान गवाहन पी0डब्लू0—1 मौला कप्तान एवं पी0डब्लू0—2 वसीम के बयान अंतर्गत धारा 202 द0प्र0सं0 अंकित किये गये।

परिवादिनी ने अपने परिवादपत्र के कथन के समर्थन में पुलिस अधीक्षक को दिये प्रार्थनापत्र की प्रति, रजिस्ट्री रसीद, तफसियानामा की छायाप्रति दाखिल की गयी है।

परिवादिनी ने अपने कथन के समर्थन में स्वयं का बयान अंतर्गत धारा 200 द0प्र0सं0 अंकित कराते हुये परिवादपत्र में किये गये कथनों का समर्थन किया है। इसी प्रकार पी0डब्लू0–1 मौलाकप्तान ने अपने बयान अंतर्गत धारा 202 द0प्र0सं0 में कथन किया है कि मै शाहीन बानो पुत्री मुस्तकीम पत्नी अब्दुलहक निवासी मिर्जामण्डी कालपी को जानता हूॅ। दिनांक 25.10.2018 सायंकाल 6 बजे घटना है कि शाहीनबानो के घर के अन्दर अब्दुलहक अंसारी पुत्र स्व0 अब्दुल हकीम अंसारी व अब्दुलहई उर्फ नेता पुत्र स्व0 अब्दुल हकीम अंसारी व कौशर पुत्री स्व0 अब्दुल हकीम अंसारी मोहल्ला श्यामनगर भरभूंजा वाली गली बजरिया उरई व पप्पू पुत्र रफीक मुहम्म्द, मुहल्ला गणेशगंज उरई शाहीन बानो के घर के अन्दर शाहीनबानो से एक मोटरसाईकिल व दो लाख रूपए की अतिरिक्त दहेज के रूप में मांग कर रहे थे और शाहीन बानो को भद्दी–भद्दी गालियां व अपशब्दो का प्रयोग कर रहे थे। शाहीनबानो का शोर सुनकर मै व वसीम पुत्र नसीम मु0 मिर्जामण्डी कालपी शाहीन बानो के घर के अन्दर घुस गये हमने व वसीम ने मुल्जिमों को समझाया, लेकिन उक्त लोग नही माने तभी उपरोक्त अभियुक्तगण आईन्दा से जान से मारने की धमकी देते हुये चले गये। इसी प्रकार पी0डब्लू0–2 वसीम ने भी अपने बयान अंतर्गत धारा 202 द0प्र0सं0 में परिवादपत्र एवं पी0डब्लू0–1 के कथन के समनार्थी कथन किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादपत्र एवं साक्ष्य में विपक्षीगण द्वारा परिवादिनी से अतिरिक्त दहेज के रूप में दो लाख रूपए व एक मोटरसाईकिल की मांग करना तथा उक्त मांग पूरी न होने पर परिवादिनी को प्रताड़ित करना एवं जान से मार दिये जाने की धमकी देने का कथन किया गया है। परिवादिनी द्वारा अपनी चोटो के सम्बन्ध में कोई चिकित्सीय प्रमाणपत्र दाखिल नहीं किया गया है। अतः मामलें के तथ्य एवं परिस्थतियों को देखते हुये प्रथम दृष्टया विपक्षीगण के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 498क,323,504,506, भा0द0सं0 व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का गठित होना प्रतीत होता है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विपक्षीगण अब्दुलहक अंसारी, अब्दुलहई उर्फ नेता, कौशर व पप्पू को जरिये समन अंतर्गत धारा 498क,323,504,506 भा0द0सं0 व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम तलब किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

विपक्षीगण अब्दुलहक अंसारी, अब्दुलहई उर्फ नेता, कौशर व पप्पू को जरिये समन अंतर्गत धारा 498क,323,504,506 भा0द0सं0 व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम तलब किया जाता है। परिवादिनी लिस्ट गवाहान दाखिल करें एवं पैरवी करें। अभियुक्तगण को नियमानुसार समन नियत तिथि के लिये जारी हो। विपक्षी दिनांक 15.03.2019 को वास्ते हाजिरी न्यायालय में उपस्थित हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट, कालपी,